

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.12(22)खान/ग्रुप-1/2014

जयपुर, दिनांक - 4 OCT 2017

आदेश

इस विभाग के आदेश अंशोत्तीप क्रमांक : प.12(1)खान/ग्रुप-1/2004 दिनांक 01.02.2012 में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्यालय निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, शास्त्री सर्किल, उदयपुर हेतु अतिरिक्त निदेशक (सर्वकात) के स्थान पर अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, शास्त्री सर्किल, उदयपुर को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है। संशोधित आदेश अंशोत्तीप क्रमांक : प.12(1)खान/ग्रुप-1/2004 दिनांक 01.02.2012 की अन्य बिन्दुएं यथावत रहेंगी।

आज्ञा से

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेष सहायक माठ खान राज्य मंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेटोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, झालाना डूगरी, जयपुर।
5. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त संशोधन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे एवं सभी संबंधित कार्यालय को सूचित भी करावें।
6. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, शास्त्री सर्किल, उदयपुर को आदेश की पालनार्थ।
7. प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.एम.एल., 4-मीरा मार्ग, उदयपुर।
8. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव/वरिष्ठ शासन उप सचिव/उप शासन सचिव, खान विभाग।
9. विशेषाधिकारी (तकनीकी)/अधीक्षण भूविज्ञानिक/उप विधि परामर्शी/सहायक शासन सचिव, खान विभाग।
10. अनुभागाधिकारी (ग्रुप-1)/(ग्रुप-2)/(आर.टी.आई), खान विभाग।
11. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव